XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 3241 –पीबीआर / 14 जिला – भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18.9.14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । यह निगरानी आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 215ए / 11–12 मे पारित आदेश दिनाक 05–8–14 के विरूद्ध पेश की गई है । इस प्रकरण में निराकरण के लिए एक मात्र यह वैधानिक बिंदु यह निहित है कि व्यवहार न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश का पालन तहसीलदार द्वारा न किया जाना विधिसम्मत है अथवा नहीं ? आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–02 भोपाल द्वारा व्यवहार वाद कमांक 652–ए / 2006 में पारित निर्णय व जयपत्र दिनांक 10.1.07 द्वारा आदेश पारित करते हुए कुंजीलाल को विवादित भूमि का भूमिस्वामी घोषित किया गया है । कुंजीलाल द्वारा विवादित भूमि की वसीयत आवेदकों के पक्ष में की गई जिसकी स्वीकारोक्ति कुंजीलाल के वारिसान अनावेदक क. 3 व 4 द्वारा की गई है । आवेदकों की ओर से वसीयत के आधार पर प्रस्तुत नामांतरण आवेदन को तहसीलदार द्वारा निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील एस.डी.ओ. द्वारा इस आधार पर निरस्त की गई कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण के विचाराधीन रहते कोई आदेश पारित किया जाना उचित नहीं होगा इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील अपर आयुक्त ने यह कहते हुए निरस्त की है कि माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण कमांक एम.सी.सी. 1571 / 2011 में पारित निर्णय दिनांक 7–12–11 की जानकारी प्रस्तुत करने मे अपीलार्थी असफल रहे है. अतः उन्होंने यह माना है कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अभी भी वाद प्रचलित है और उन्होंने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अपील को चलने योग्य न होना मानते हुए समाप्त किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखा	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारो एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	हुए इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्रथमदृष्टया न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं माना जा सकता क्योंकि प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 भोपाल द्वारा व्यवहार वाद कमांक 652-ए/2006 में पारित निर्णय व जयपत्र दिनांक 10 1 07 द्वारा आदेश पारित करते हुए कुंजीलाल को विवादित भूमि का भूमिस्वामी घोषित किया गया है । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा अष्टम अपर जिला न्यायाधीश, भोपाल के समक्ष नियमित अपील कमांक 207-अ/2007 पेश की गई जो विद्वान न्यायाधीश ने आदेश दिनांक 4-10-08 द्वारा सारहीन होने से निरस्त की गई एवं कुंजीलाल के मृत होने के कारण वसीयत के आधार पर आवेदकों को कुंजीलाल के वैध प्रतिनिधि मानते हुए जयपत्र में कुंजीलाल के स्थान पर उनका अंकित किए जाने के आदेश दिए गए हैं । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क. 1 एवं 2 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील कमांक 772/2011 प्रस्तुत की गई जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12-8-11 को निरस्त कर दी गई है । माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध पुर्नस्थापन आवेदन पेश किया गया जो प्र0क0 एम.सी.सी. 1571/2011 पर पंजीबद्ध हुआ एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 18-11-11 के द्वारा त्रुटि के परिमार्जन हेतु 02 सप्ताह का समय दिया गया है । उक्त प्रकरण कमांक एम.सी.सी. 1571 2011 माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 7-12-11 द्वारा निरस्त कर दिया गया है । ऐसी स्थिति में व्यवहार न्यायाधीश द्वारा व्यवहार वाद कमांक 652-ए/2006 में पारित निर्णय व जयपत्र दिनांक 10/ /07 आज भी यथावत है । आवेदक की ओर से इस न्यायालय के समक्ष प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश वर्ग - 02 भोपाल के न्यायालय में प्रस्तुत इजरा प्र0क0 EXN-652/06 में पारित आदेश दिनांक 6-10-10 की प्रति पेश की गई है जिसमें विद्वान न्यायाधीश ने तहसीलदार, गोविंदपुरा को आदेशित किया गया है कि	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 [illegible] –पीबीआर / [illegible] जिला – [illegible]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	वह प्रश्नाधीन भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में इस आदेश की तामीली दिनांक से 45 दिवस के अंदर नामांतरण कर राजस्व खसरे इस न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि व्यवहार न्यायालय का निर्णय पक्षकारों के साथ–साथ राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है । दर्शित परिस्थिति में इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेश हैं वह न्यायसंगत नहीं विधिसम्मत नहीं हैं और इसी स्तर पर निरस्ती योग्य हैं । अतः उन्हें निरस्त करते हुए तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णयों के पालन में राजस्व अभिलेखों में आवेदकगण का नाम दर्ज करने की कार्यवाही करें । इसी बीच यदि माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है तो तदनुसार कार्यवाही की जाये । (हस्ताक्षर) सदस्य	

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

निगरानी प्रकरण क्रमांक.....

(1) अरूण चौधरी, आयु वयस्क
आत्मज श्री पी.बी. चौधरी, निवासी-
50, न्यू मार्केट, भोपाल
(2) श्री रमेश कुमार विश्वकर्मा,
आयु वयस्क आत्मज श्री एम.एल. विश्वकर्मा
निवासी-52, मालवीय नगर, भोपाल ------- आवेदकगण

विरूद्ध

(1) मध्यप्रदेश शासन द्वारा
जिलाध्यक्ष महोदय, भोपाल
(2) उद्योग एवं वाणिज्य विभाग
जिला उद्योग विभाग, वल्लभ भवन भोपाल
(3) श्रीमती लक्ष्मी बाई, आयु वयस्क
पत्नी स्व. श्री कुंजीलाल निवासी-हरीराम
का बाग, रायसेन रोड, भोपाल
(4) श्री उमराव सिंह आयु वयस्क
आत्मज स्व. श्री कुंजीलाल निवासी-
हरीराम का बाग, रायसेन रोड, भोपाल ------- अनावेदकगण